# FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मालाराम पुत्र गणपतराम अहीर बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा:–विविध प्रार्थना पत्र अ.धा. 131,136 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर:–7 /2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये |
|---|---|---|
| 05.02.2024 | प्रार्थी श्री मालाराम पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी ढाणी पाट्यावाली तन् पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2023 के तहत दिनांक 10.05.2023 को ग्राम पंचायत पीथलपुर में आयोजित शिविर में एक प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा में दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथलपुर के नवीन भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.76 हैक्टर जिनके पुराने खसरा नम्बर 59/635 रकबा 0.94 हैक्टर वरवक्त प्रथम सैटलमेंट दर्ज रहे है। ग्राम पीथलपुर के नवीन खसरा नम्बर 106 रकबा 0.94 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 64/636 रकबा 0.94 हैक्टर वरवक्त पुराने सैटलमेंट दर्ज रहे है। उक्त वर्णित भूमि का नवीन सेटलमेंट द्वारा बनाया गया नक्शा पुराने नक्शे के अनुसार नहीं बनाया जाकर उसका पूर्वी तरफ का हिस्सा नवीन पुराने खसरा नम्बर 106 में मर्ज कर दिया गया तथा उक्त खसरा नम्बर 106 का नक्शा पुराने खसरा नम्बर 64/636 से ज्यादा दिखाया जाकर नक्शे में तरमीम गलत की गई। जो पुराने व नवीन नक्शे का मिलान करने मात्र से दर्शित होने से पुराने नक्शे के अनुसार नक्शे में नवीन तरमीम शुद्धि किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट का प्रस्तुत कर ग्राम पीथलपुर के नवीन खसरा नम्बर 105 का नक्शा पुराना खसरा नम्बर 59/634 के अनुसार बनाया जाकर नवीन तरमीम शुद्धि नक्शे में किये जाने के आ[illegible] का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।<br><br>प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को वास्ते जॉच हेतु भिजवाया गया था। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने सम्बन्धित पटवारी हल्का पीथलपुर को वास्ते जॉच हेतु भिजवाया गया था। जो पटवारी हल्का | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| | | |

पटवारी हल्का पीथलपुर व भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर की बाद जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 309/भू.अ./23 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट आज प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का पीथलपुर की मूल रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाई गई है। पटवारी हल्का पीथलपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे अवगत कराया कि राजस्व ग्राम पीथलपुर के नवीन भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.76 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 59/634 का रकबा 0.76 हैक्टर है एंव खसरा नम्बर 106 रकबा 0.94 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 64/636 का रकबा 0.94 हैक्टर था। उक्त दोनों नये व पुराने खसरा नम्बर का पुराने नक्शा लट्‌टा से मिलान करने पर नये खसरा नम्बर 105 की आकृति द्वितीय सैटलमेंट से कम हो गई। नवीन खसरा नम्बर 105 की तरमीम 0.59 हैक्टर है और मौके पर 0.76 हैक्टर पर कब्जा है। इस प्रकार पुराने नक्शे के अनुसार 0.17 हैक्टर भूमि नक्शे में कम होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस पुराना व नवीन, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 लगायत 2027, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट, पटवारी हल्का पीथलपुर व भू अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 10.05.2023 व 16.01.2024 इसके संलग्न नक्शा ट्रेस इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 105 रकबा 0.76 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 59/634 का रकवा 0.76 हैक्टर होना एंव खसरा नम्बर 106 रकबा 0.94 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 64/636 का रकबा 0.94 हैक्टर होना प्रकट होता है। उक्त दोनों नये व पुराने खसरा नम्बर का पुराने नक्शा लट्‌टा से मिलान करने पर नये खसरा नम्बर 105 की आकृति द्वितीय सैटलमेंट से कम होना प्रकट होता है। नवीन खसरा नम्बर 105 की तरमीम रकबा 0.76 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.59 हैक्टर तरमीम में दर्ज किया जाना तथा प्रार्थी का मौके पर 0.76 हैक्टर पर कब्जा होना प्रतित होता है। इस प्रकार पुराने नक्शे के अनुसार 0.17 हैक्टर भूमि नक्शे में कम होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा में दुरूस्ती बाबत को पटवारी हल्का पीथलपुर एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 105 रक्बा 0.59 हैक्टर का नक्शा पुराने खसरा नम्बर 59/634 रकबा 0.76 हैक्टर के अनुसार बनाया जाकर नवीन खसरा नम्बर 105 के नक्शें को रकबा 0.17 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 106 में से कम की जाकर खसरा नम्बर 105 के नक्शे में रक्बा 0.17 बढ़ाया जाकर कुल रकबा 0.76 हैक्टर नवीन तरमीम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर निर्णय अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

( दिलीप सिंह )

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested